/

न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 65/2019

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

रतनाराम पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी चिरडाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 भू–राजस्व अधिनियम 1956 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री बक्तावर सिंह जाखड़

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक : 30.08.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम जाणीनगर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 1065 रकबा 3.4059 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम आयी हुई है जिसको आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वाद पत्र में पद सं. एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/6 वां हक हिस्सा कब्जा काश्त है तथा वादी 1/6 वां हिस्सा पर अन्य सहखातेदारान के साथ साथ संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है । वादी अपने पिता का इकलौता पुत्र है तथा वादी को लाड प्यार से श्रवणराम से जाना पुकारा जाता था जबकि वादी का स्कूल दस्तावेज, परिवार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि में वादी का नाम रतनाराम पुत्र छोगाराम दर्ज है लेकिन वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम श्रवणराम पुत्र छोगाराम दर्ज हो गया । श्रवणराम पुत्र छोगाराम व रतनाराम पुत्र छोगाराम एक ही व्यक्ति है । वादी की ग्राम चिरढाणी की राजस्व सीमा में संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 480, 760, 810, 810/1, 830 कुल खसरा 5 कुल रकबा 9.2308 हैक्टयर आयी हुई है जिसमें वादी का नाम रतनाराम पुत्र छोगाराम 1/3 वां हिस्सा दर्ज है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम सेवन से त्रुटिवंश रतनाराम पुत्र छोगाराम इन्द्राज नही होकर गलती से श्रवणराम पुत्र छोगाराम इन्द्राज हो गया जिसकी वजह से वादी अपनी उक्त भूमि पर किसान केडिट कार्ड नही बनवा सकता है जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 19.07.2019 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुई इस पर प्रार्थी ने अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी से निवेदन किया इस पर प्रतिवादी ने कहा कि उक्त दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय हाजा से करवानी पड़ेगी इसलिए वादी को उक्त वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी का पेश करना पड़ रहा है । वादग्रस्त आराजी वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद है जिसमें वादी का 1/6 वां हिस्सा है । वादी वादग्रस्त आराजी के 1/6

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

वां हिस्सा भूमि में श्रवणराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर दुरूस्ती करवाकर रतनाराम पुत्र छोगाराम 1/6 वां हिस्स के खातेदार घोषित होने के हकदार है । बिनाय दावा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी वाद में वर्णित तथ्यो परिस्थितियों की वजह से तथा दिनांक 19.07.2019 को वादी ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर किसान केडिट कार्ड हेतु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल हेतु सम्पर्क किया इस पर हल्का पटवारी ने बताया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम गलत रूप से रतनाराम के स्थान पर श्रवणराम दर्ज हो गया जिसको दुरूस्त करवाना पड़ेगा तथा नकल प्राप्त करने पर पैदा हुआ व आज भी हो रहा है । इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :– वादी के हक में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम जाणीनगर की राजस्व सीमा में में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1065 रकबा 3.4059 हैक्टयर भूमि में श्रवणराम पुत्र छोगाराम हिस्सा 1/6 के स्थान पर रतनाराम पुत्र छोगाराम हिस्सा 1/6 खातेदार घोषित किया जाने का आदेश फरमावें । अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के हक में अता फरमावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ और जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम चिरड़ाणी के खाता सं. 38 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, एवं हल्का पटवारी चिरड़ाणी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के नाम श्रवणराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र छोगाराम किया जाता है तो किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज,व जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चिरड़ाणी के खाता सं. 38 में दर्ज नाम श्रवणराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर रतनाराम पुत्र छोगाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 30.8.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner